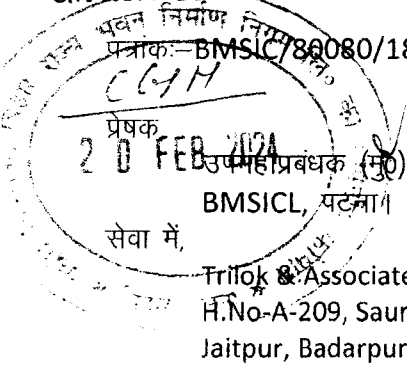


दिनांक:-



विषय:- सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र 28, 29 एवं 30 (i) सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (ii) चिरैया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iii) बेलसंड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य में विलंब के कारण डिबार करने के संबंध में।

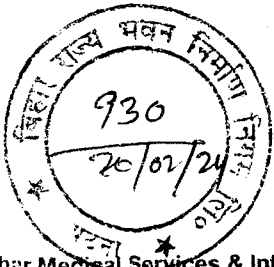
प्रासंग:- उपमहाप्रबंधक (परि0) का पत्रांक 74 दिनांक 20.03.2023, पत्रांक 156 दिनांक 10.07.2023, पत्रांक 268 दिनांक 12.12.2023, प्रबंधक (परि0) का पत्रांक 10 दिनांक 14.09.2023 एवं पत्रांक 11 दिनांक 26.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र 28, 29 एवं 30 (i) सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (ii) चिरैया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iii) बेलसंड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य हेतु आपको इस निगम के पत्रांक BMSIC/80080/18-2021/8071 दिनांक-24.01.2022 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 23.04.2023 तक पूर्ण करना था, परंतु 24 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक कोई भी योजना पूर्ण कर हस्तगत नहीं कराया गया है जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता का द्योतक है। उपमहाप्रबंधक (परि0), सीतामढ़ी द्वारा पत्रांक 05 दिनांक 10.01.2024 द्वारा बताया गया है कि संवेदक को कई बार प्रसांगिक पत्रों के माध्यम से लिखित एवं मौखिक निदेश दिए जाने के बावजूद लगातार निर्माण कार्य में शिथिलता एवं उदासीनता बरती जा रही है। कार्य की प्रगति काफी धीमी है। उक्त के आलोक में संवेदक को Debar करने की अनुशंसा की गई है। विदित हो, कि यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार टेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य में अनियमितता बरतने के कारण आपको (Trilok & Associates, H.No-A-209, Saurabh Vihar, Jaitpur, Badarpur, South Delhi, Delhi) इस कार्य को पूर्ण करने तक किसी भी अगली निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
2nd & 3rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura,
Adjacent to State Health Society, Patna 800014, Bihar.

विश्वासभाजन

[Signature]
GM(P)
GM(MS)
IT Manager
20/02/24

ह0/-

उपमहाप्रबंधक (मु0)



ज्ञापांक:- BMSIC/80080/18-2021/

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:-

ह0/-

उपमहाप्रबंधक (मु0)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80080/18-2021/

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

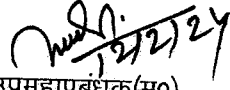
ह0/-

उपमहाप्रबंधक (मु0)

दिनांक:- 15.09.2024

ज्ञापांक:- BMSIC/80080/18-2021/9521

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि0, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।


उपमहाप्रबंधक(मु0)

८